

कार्यालय
निदेशकआयुर्वेदिक एवं यूनानीसेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या- 1970-76 / जी0-104 / (स्थानान्तरण-2025) / 2025-26

दिनांक- 18 जून 2025

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों का निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ 4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता।

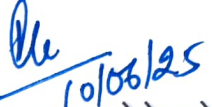
क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री हेमन्त पुरोहित	प्रधान सहायक	राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ऋषिकुल हरिद्वार।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।	जनहित धारा-17(1)(क)
2	श्री रघुनाथ पंवार	प्रधान सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी।	राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ऋषिकुल हरिद्वार।	जनहित धारा-17(1)(ग)
3	श्री उदेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, ऋषिकुल हरिद्वार।	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।	जनहित धारा-17(1)(क)
4	श्री प्रमोद सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।	आयुर्वेद यूनानी सेवा विभाग निदेशालय, देहरादून।	जनहित धारा-17(1)(ग)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिक धारा-22 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तरित अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि(JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


10/06

4

स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।


(डा० विजय कुमारजोगेदण्डे)
निदेशक (I.A.S.)

पत्रांक एवंदिनांकतदैव।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 3- जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, /वैज्ञानिक अधिकारी, डी०टी०एल० हरिद्वार/पौड़ी/हरिद्वार उत्तरकाशी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, /सईबर कोषागर, देहरादून/पौड़ी/हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- वित्त अधिकारी, आयुर्वेद यूनानी सेवा विभाग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/वैज्ञानिक अधिकारी।
- 6- गार्ड फाईल।


(डा० विजय कुमारजोगेदण्डे)
निदेशक (I.A.S.)

010